राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प.4(6)वित्त–1(1)आ.व्य./2017 दिनांक 14 मई, 2018

परिपत्र

विषयः– राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं/निकायों/राजकीय उपक्रमों/को दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में।

विषयान्तर्गत GF&AR के नियम 305 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दिये गये ऋणों के लेखे महालेखाकार कार्यालय के स्तर पर संधारित किये जाते हैं तथा ऋणों की शर्तों के अनुसार वसूली की निगरानी भी महालेखाकार द्वारा की जाती है। संस्थाओं को दिये गये ऋणों के विस्तृत लेखों का संधारण महालेखाकार द्वारा उपयुक्त ढंग से हो सके, इस हेतु महालेखाकार कार्यालय के चाहे अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा जारी ऋण स्वीकृति में निम्नलिखित सूचनाओं का अंकन किया जाना सुनिश्चित किया जावेः–

1. ऋण स्वीकृति आदेशों में ऋण की शर्तें, देय ब्याज, मोरोटोरियम अवधि, पुनर्भुगतान की समय सारणी, ऋण भुगतान की किश्त एवं जमा कराये जाने की तिथि का पूर्ण विवरण हो।
2. ऋण स्वीकृति में ऋण से संबंधित मुख्य शीर्ष एवं उसका पूर्ण वर्गीकरण का अंकन किया जावे।
3. प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी समस्त ऋण स्वीकृतियों की प्रति महालेखाकार कार्यालय को भी पृष्ठांकित की जावे।
4. मूल ऋण जमा के अतिरिक्त ब्याज वसूली समयावधि का भी स्पष्ट उल्लेख करें। ब्याज समय पर जमा नहीं होने पर देय शास्ती (पेनल्टी) का भी उल्लेख करावें।

इसके अतिरिक्त संस्थाओं को दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में GF&AR के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के साथ ही निम्नलिखित कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे–

1. प्रत्येक वर्ष संस्थाओं को दिये गये ऋण अवशेषों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से किया जावे, जिससे भिन्नता की स्थिति का निराकरण उसी वित्तीय वर्ष में संभव हो सके।
2. संस्थाओं को स्वीकृत किये गये ऋण की समयबद्ध वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
3. मूल ऋण राशि चालान द्वारा जमा कराने पर चालान में ऋण स्वीकृति का उल्लेख करें तथा ऋण किस वर्ष एवं संस्था से संबंधित है को भी स्पष्ट करावें।
4. जिन संस्थाओं को दिये गये ऋण की वसूली नहीं हो पा रही है उसका समायोजन राज्य सरकार द्वारा संस्था को दी जा रही अनुदान/सहायता राशि आदि से किया जावे।

सभी प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दिये गये/दिये जा रहे ऋणों के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ताकि ऋणों का संधारण महालेखाकार स्तर पर उपयुक्त ढ़ंग से हो सके तथा वसूली भी समयबद्ध हो सके।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।

निदेशक, वित्त (बजट)

[06/2018]